न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला बारां (राज.)

क्रमांक 12/25

दिनांक 18.09.2025

:: निर्णय :: --

प्रार्थी श्री ... छोटीलाल .... पुत्र/पुत्री/पत्नी अमरलाल [illegible]

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम घस्या [illegible] भीलवाड़ानीय [illegible]

जिला बारा की चालू जमाबंदी सम्वत 2078-79 [illegible] के खाता संख्या 123 में खातेदार/गैरखातेदार का

नाम/जाति छोटेलाल पुत्र अमरा .... अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से

छोटीलाल पुत्र अमरलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी भीलवाड़ानीय

से करवाने पर पटवारी ने छोटेलाल पुत्र अमरा ... के बजाय छोटीलाल पुत्र अमरलाल

... ... करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में छोटेलाल पुत्र अमरा

के बजाय ... छोटीलाल पुत्र अमरलाल ... करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू-राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम ...... घड़या ...... के खाता संख्या 123 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति ... अमरा .... के स्थान पर सम्मानजनक रूप से छोटीलाल पुत्र अमरलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी

(Land Record Officer)

छबड़ा जिला बारां